



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228477
CG-DL-E-27072021-228477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2730]
No. 2730]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SRAVANA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 2936(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1769(अ) दिनांक 06 मई, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 (वीरपुर-बिहपुर खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि. मी. 136.00 तक के भू-खण्ड पर पथ (चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण एवं दो लेन बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19 मई, 2021 को " द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था, जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 27 मई, 2021 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था;

और शुन्य आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपो को अननुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, बिहार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 (वीरपुर-बिहपुर खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 136.00 तक के अंतर्गत संरचना सहित अथवा संरचना रहित भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: सुपौल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पिपरा				
	गांव का नाम: पिपरा				
1	1878	निजी	आवासीय	0.1174	श्री निमाय चन्द्र दे, पिता-स्व० अधीर चन्द्र दे वगैरह (1878)
	तालुक का नाम: राघोपुर				
	गांव का नाम: धरहरा				
1	3396	निजी	आवासीय	0.1012	श्री सच्चिदानन्द कुमार पिता-श्री दुखी लाल यादव, मो० इदरीस साफी, पिता-स्व० रघु साफी, वगैरह (3396)
	गांव का नाम: पिपराही				
2	168/555	निजी	व्यावसायिक	0.0668	कंचन अग्रवाल पे० स्व० महेन्द्र अग्रवाल, वो दिलीप अग्रवाल पे० हरि अग्रवाल, शेखर अग्रवाल वो अजातशत्रु वो प्रदीप अग्रवाल वो केशर अग्रवाल पे० हरि

					अग्रवाल, वो संतोष अग्रवाल पति-स्व० प्रदीप अग्रवाल वो हरी अग्रवाल पे० स्व० लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, वगैरह (168/555)
3	566,168/554	निजी	व्यावसायिक	0.0668	संतोष अग्रवाल वो दिनेश अग्रवाल वो उमेश अग्रवाल पे० स्व० राधेकृष्ण अग्रवाल, वो कविता अग्रवाल पे० स्व० पप्पु अग्रवाल, वो महेश अग्रवाल, पे० स्व० राधेकृष्ण अग्रवाल, वगैरह (566,168/554)
			कुल	0.3522	

[फा. सं. RW/NH-12012/7/2011/SP(W.Bank)/(B-3)/P-9/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 2936(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 1769(E), Dated 6th May, 2021** Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Road (widening/Strengthening two-laning, etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No. 106, on the stretch of land from km 0.00 to km 136.00 (Birpur-Bihpur Section) in the district of Supaul, in the State of Bihar.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Times of India**” and “**Dainik Jagran**” dated **19.05.2021**; under sub section (3) of section 3A of the said Act, whose corrigendum was publishes in “Dainik Jagran” on 27th May, 2021;

And whereas Zero objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, namely, the **District Land Acquisition officer, Supaul, Bihar**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central government, free from all encumbrances;

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 0.00 to km 136.00 (Birpur-Bihpur Section) of National Highway No. 106 in the district of Supaul in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: SUPAUL			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pipra				
	Village: Pipra				
1	1878	Private	Residential	0.1174	Sri Nimay Chandra Dey S/o-Lt. Adhir Chandra Dey, etc. 1878
	Taluk: Raghupur				
	Village: Dharahara				
1	3396	Private	Residential	0.1012	Sri Sachidanand Kumar S/o-Sri Dukhi Lal Yadav, Md. Idris Safi S/o-Lt. Raghu Safi, etc. 3396
	Village: Piprahi				
2	168/555	Private	commercial	0.0668	Kanchan Agrwal S/o-Lt. Mahendra Agrwal, wo Dilip Agrwal S/o-Hari Agrwal, Shekhar Agrwal wo Azatshatru wo Pradeep Agrwal wo Keshar Agrwal S/o-Hari Agrwal, wo Santosh Agrwal W/o-Lt. Pradeep Agrwal, wo Hari Agrwal S/o-Lt. Lakshmi Narayan Agrwal etc. 168/555
3	566,168/554	Private	Commercial	0.0668	Santos Agrwal wo Dinesh Agrwal wo Umesh Agrwal S/o-Lt. Radhekrishna Agrwal, Wo Kavita Agrwal S/o-Lt. Pappu Agrwal wo Mahesh Agrwal S/o-Lt. Radhekrishna Agrwal, etc. 566,168/554
			TOTAL	0.3522	

[F. No. RW/NH-12012/7/2011/SP(W.Bank)/(B-3)/P-9/3D]

RAJESH GUPTA, Director